

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग सीतापुर।

पत्रांक 1234 / 144  
सेवा में,

दिनांक, सीतापुर 10-09-2018

वरिष्ठ प्रबन्धक (खुदरा बिक्री)  
मण्डलीय कार्यालय, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०  
कपूरथला काम्प्लेक्स  
अलीगंज लखनऊ।

विषय:- जनपद सीतापुर में बहराइच-बिसवाँ मार्ग कि०मी० 62 उसके मध्य दायी पटरी पर ग्राम-पुरैनी परगना व तहसील बिसवाँ के खसरा संख्या 314 में इण्डियन आयल कार्पो लि० द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0741 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ-विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-99/14-2-2018-800(106)/2018 दिनांक 30.08.2018 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 488/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/अदर/18422/2016 दिनांक 31.08.2018।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में निम्न प्रकार धनराशि जमा करने का कष्ट करें:-

7. शर्त संख्या 27 के अनुसार 100 वृक्षों के रोपण व 10 वर्षों के रखरखाव हेतु रू 50,900.00/- (रू० पचास हजार नौ सौ मात्र) जमा करने का कष्ट करे।
8. शर्त संख्या-08 के अनुसार 0.0741 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) रू 46,386.00/- (रू० छियालिस हजार तीन सौ छियासी मात्र) जमा करने का कष्ट करें।
9. शर्त संख्या 07 के अनुसार शर्त संख्या-8 व 27 की कुल वांछित धनराशि रू 97,286.00/- (रू० सत्तान्बे हजार दो सौ छियासी मात्र) ई-पोर्टल के माध्यम से जनरेट आनलाईन ई-चालान के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें।  
उपरोक्त धनराशि जमा करने के पश्चात जमा चालान व बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्रम संख्या	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
-------------	-------------	---------------

(डॉ अनिरुद्ध पाण्डेय)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
सीतापुर

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ।
  2. मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल उ०प्र० लखनऊ।
- संलग्नक-यथोपरि।

(डॉ अनिरुद्ध पाण्डेय)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
सीतापुर

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. उप प्रभागीय वनाधिकारी सीतापुर को भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित।
  4. क्षेत्रीय वनाधिकारी, बिसवाँ को भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु मौके का स्थलीय जाँच कर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
- संलग्नक-यथोपरि।

(डॉ अनिरुद्ध पाण्डेय)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
सीतापुर